फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अशोक बनाम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ व अन्य

केस संख्या 161 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.2024	दरख्वास्तगुजार ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 220/2024 एवं 178/2024 व उनवानी अशोक बनाम कमलेश कुमार व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। विपक्षीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 23.01.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
23-01-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है अप्रार्थी सं. 2 ता० 6 की ओर से वकील श्री हनुमान सहाय शर्मा ने वकालतनामा पेश किया बहस उभय पक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 3-2-2025 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
3-2-25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ए. सी. एम. (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी पद पर श्री राकेश मीणा आर. ए. एस. का पद स्थापन हो गया है। नये पीठासीन अधिकारी का पद स्थापन हो जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (INFRUCTUOUS) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner